

प्रेषक,

बी०बी० सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुरखीरी,
मिर्जापुर एवं सोनभद्र, उ०प्र० ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: २५ मई, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु जिला योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 टी०एस०पी० के लिए वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (ट्राइबल सब प्लान) के अन्तर्गत नई इकाईयों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में प्राविधानित रु० 4,00,000.00 (रु० 4 लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम चार माह के लिये लेखानुदान के माध्यम से व्यवस्थित रु० 1.30 लाख (रु० 1 लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न फॉट के अनुसार) श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2— उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्नक में अंकित किया गया है उसी के अनुसार धनराशि का आहरण जनपद स्तर पर किया जायेगा ।

3— प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण का अधिकार सम्बन्धित जिलों के मुख्य विकास अधिकारी में निहित होगा । प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) / जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा मौंग प्रस्तुत किये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर नियमानुसार सम्बन्धित राष्ट्रीयकृत / ग्रामीण बैंक को उपलब्ध करायेंगे ।

4— योजनान्तर्गत धनराशि निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जायेगी :-

(1)— उ०प्र० के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरों एवं शिल्पियों को अधिकतम रु० 10.00 लाख (रु० 1 लाख मात्र) की व्यक्तिगत / साझेदारी इकाईयों को राष्ट्रीयकृत / ग्रामीण बैंकों से वित्त पोषित कराया जायेगा । आई०टी०आई० पालीटेक्निक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी ।

(2)— आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष व महिलाओं) को योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी ।

(3)— कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत कमशः जागरूकता शिविर, प्रचार-प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा जिसका उपयोग सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक, ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार किया जायेगा ।

(4)— राष्ट्रीयकृत / ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के उपरान्त इकाईयों के सफलतापूर्वक कार्य करने एवं उसके सदुपयोग करने के उपरान्त ही ब्याज की धनराशि अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान सीधे उद्यमियों के बैंक खाते में सम्बन्धित बैंक की मौंग के अनुसार किया जायेगा ।

- (5) सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कार्य बन्द करते हुए धन का दुरुपयोग करते पाये जाने पर ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान रोक दिया जायेगा तथा जो धनराशि भुगतान की जा चुकी है, उसकी वसूली तत्काल उद्यमियों से नियमानुसार कर ली जायेगी साथ ही बैंक की हुई ब्याज की वसूली बैंक द्वारा सीधे सम्बन्धित उद्यमियों से की जायेगी।
- (6) नियोजन विभाग द्वारा प्रश्नगत योजना में जनपदवार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- (7) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र संख्या-बी०एम०-८ में समाज कल्याण व वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३ उ०प्र० शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत योजना में टी०एस०पी० के मानक एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 5— उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-“2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-04-मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना-0401-बेरोजगार नवयुवकों/परम्परागत कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुदान(जि०यो०)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” के नामें डाला जायेगा।
- 6— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-3520/दस-2011-231/2012, दिनांक 16.12.2011 एवं शासनादेश संख्या-बी-1-547/दस-2012-231/2012, दिनांक 20.3.2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक:: यथोक्त।

भवदीय,

(बी०बी० सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-२३६ (1)/26-ब०प्र०-2012-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2— सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3— सम्बन्धित मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उ०प्र०।
4— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
5— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-३/नियोजन अनु०-४/एन०आई०सी० की प्रति।
6— कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्डफाइल।


आज्ञा से,

(बी०बी० सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या—२३६/२६—ब०प्र०—२०१२—२६(खा) / 2006 दिनांक २५ मई, 2012 का
संलग्नक।

क्रमांक	जनपद का नाम	धनराशि हजार रु० में
1	पीलीभीत	13.00
2	बहराइच	13.00
3	श्रावस्ती	13.00
4	लखीमपुरखीरी	50.00
5	मिर्जापुर	13.00
6	सोनभद्र	28.00
	योग	130.00

(रु० एक लाख तीस हजार मात्र)


(बी०बी० सिंह)
संयुक्त सचिव।